न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 512/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मोहम्मद हनीफ पुत्र खैर मुबारक जाति मुसलमान निवासी नूरे की भूर्ज, तहसील बाप जिला जोधपुर		1– ताज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक 2– नियाज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक 3– कायमदीन पुत्र नौरंगखां 4– लालदीन पुत्र नौरंगखां 5– इब्राहिम पुत्र नौरंगखां 6– अब्दुल गफुर पुत्र नौरंगखां 7– अजीज पुत्र नौरंगखां 8– यार मोहम्मद पुत्र नौरंगखां 9– अलाबरायो पुत्र नौरंगखां 10–गुल मोहम्मद पुत्र नौरंगखां 11–नबी बक्स पुत्र खैरदीन 12–हासमदीन पुत्र रमजान 13–मगणकमी पत्नी खैरदीन 14–रसूल बक्स पुत्र खैरदीन 15–अलाबक्स पुत्र खैरदीन 16–सदीक पुत्र खैरदीन 17–यार मोहम्मद पुत्र खैरदीन 18–शकूर पुत्र खैरदीन 19–ताज मोहम्मद पुत्र खैरदीन सभी जातियान मुसलमान (कोटवाल) निवासीगण नूरे की भुर्ज, तहसील बाप जिला जोधपुर 20–उप तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15–7–2015 जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 79/2013 अनवान ताज मोहम्मद बनाम मोहम्मद हनीफ वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री किसनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री पूनाराम अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 2,3 व 15,16 की ओर से।

3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 17–1–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता खैर मुबारक पुत्र रायधन खां की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 38 रकबा 171 बीघा सरहद मौजा भडला तहसील बाप मे स्थित है । उक्त भूमि मे 1/3 हिस्सा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता खैर मुबारक के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था तथा 1/6 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3 से 11 का, 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 12 का एवं 1/6 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 13 से 19 का बंट मे आता है तथा इसी अनुसार ही

अपीलांट एवं रेस्पो0 मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता खेर मोहम्मद के फोत होने पर उनके पिता के खातेदारी की भूमि मे उक्त तीनो 1/3 – 1/3 हिस्से पर लगातार शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे थे । परंतु उक्त भूमि का म्युटेशन वर्तमान अपीलांट मोहम्मद हनीफ पुत्र खेर मुबारक अकेले ने पटवारी हल्का एवं उप तहसीलदार से मिलावट कर अपने पक्ष मे कूटरचित वसीयतनामा होना बताकर उसके आधार पर म्युटेशन संख्या 116 मौजा भडला अपने अकेले के हक मे भरवाकर स्वीकृत करवा लिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करवाने बाबत वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ताज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रथम अपील पेश की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 116 मौजा भडला को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खैर मुबारक के 1/3 हिस्से मे उसके विधिक उतराधिकारियो की जांच कर संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर म्युटेशन की कार्यवाही के निर्देश पारित किये गये ।. जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे नोटिस की तामिल की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि नोटिस प्रोपर तामिल ही नही हए थे तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे आदेशिका दिनांक 24–12–2014 से 21–5–2015 तक दोनो पक्षो के अधिवक्ता गैर हाजिर रहे तो एक्स पार्टी मानते हुए अपील को खारीज कर दी जानी चाहिये थी । उसके पश्चात दिनांक 24–6–2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता ही उपस्थित होने पर रेस्पो0 गैर हाजिर होने पर रेस्पो0 को पुनः नोटिस जारी करना चाहिये था परंतु दिनांक 30–6–2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता को एकतरफा सुनकर पत्रावली आदेश हेतु रखते हुए अपीलाधीन निर्णय मे दोनो ही अधिवक्ता की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया ।पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस मे विचाराधीन थी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24–6–2015 मे अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित, मिसल वास्ते पूर्व आदेश की पालना मे तथा बहस हेतु दिनांक 30–6–2015 को तथा दिनांक 30–6–15 को बहस सुनी जाकर आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 15–7–15 को रखी गई तथा उक्त दिनांक को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया इसप्रकार अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा बिना सुने ही पारित किया गया होने से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार खेर मुबारक के देहांत होने पर अपीलांट के पक्ष मे की गई अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 116 दर्ज कर प्रस्तुत किया जिस पर निरीक्षक भू

अभिलेख की टिप्पणी के क्रम मे उक्त नामांतरकरण पर "विस्तृत निर्णय ग्राम नूरे की भुर्ज के नामांतरकरण संख्या 650 पर लिखा हुआ है, वसीयतनामा सही है, अतः नामांतरकरण संख्या 650 के निर्णय अनुसार उक्त नामांतरकरण संख्या 116 ग्राम भडला उप तहसीलदार बाप द्वारा स्वीकृत किया गया था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उप तहसीलदार बाप द्वारा पारित विस्तृत आदेश दिनांक 14–10–01 का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 15–7–2015 को पारित करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 116 बिना आधार के निरस्त कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज द्वारा संबंधित वसीयत की नियमानुसार जांच की गई थी तथा जांच के पश्चात पत्रावली उप तहसीलदार बाप को प्रेषित की गई तथा उप तहसीलदार बाप ने प्रकरण को विवादित होना मानते हुए अपना आदेश धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पारित किया गया था इसलिए धारा 135 (2) के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर फलोदी को नही होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2015 निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 14 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 116 के विरूद्ध अत्यधिक देरीना अपील पेश की थी तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किये बिना तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपील का निर्णय पारित कर दिया जबकि अपील के निर्णय से पूर्व धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना आवश्यक था इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता खेर मुबारक की स्वअर्जित भूमि थी इस कारण इस भूमि के संबंध मे खेर मुबारक को मुंतकील करने का पूर्ण अधिकार था इसलिए उसने उन्ही अधिकारो का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि के संबंध मे एक वसीयत मुंतकील की जो नियमानुसार मुस्लिम विधि अनुसार की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि मुस्लिम विधि के अनुसार 1/3 हिस्से से अधिक सम्पति की वसीयत करने पर अन्य वारिसान की सहमति लेना आवश्यक है तथा वसीयत मजमे आम परिवार की सहमति से कर सकता है तथा मेरे मामले मे सहमति लेकर वसीयत मेरे पक्ष मे की गई है, जो सही है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत लिखित तथा तस्दीकसुदा थी, इस कारण से वसीयत को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने लिखित वसीयत के

आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 116 को निरस्त करने मे कानूनी भूल की है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे वसीयतनामा न्यायालय मे प्रस्तुत नही करना तथा वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से वसीयत को नियमानुसार नही माना जबकि मुस्लिम विधि मे वसीयत रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे आदेशिका दिनांक 24–12–2014 से 21–5–2015 तक दोनो पक्षो के अधिवक्ता गैर हाजिर रहे तथा दिनांक 24–6–2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता ही उपस्थित रहे तथा दिनांक 30–6–2015 को केवल अपीलांट अधिवक्ता को एकतरफा सुनकर पत्रावली आदेश हेतु रखते हुए अपीलाधीन निर्णय मे दोनो ही अधिवक्ता की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कोई बहस ही नही की थी इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी तथा जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर दी थी इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–7–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2015 पेज 119, आर.आर.डी. 2009 पेज 123 तथा आर.आर.टी.2006 (2) पेज 1092 की निर्णय नजीरे पेश की ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय जो कि विधिसम्मत होने से उसका समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार खैर मुबारक के जायंदा पुत्र है परंतु अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 116 अकेले अपीलांट के पक्ष मे वसीयत के आधार पर स्वीकृत कर दिया जाने पर उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर उक्त नामांतरकरण संख्या 116 को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को अपीलाधीन भूमि मे से मृतक खैर मुबारक के 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध मे विधिक प्रकिया के द्वारा जांच कर संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर विधिक उतराधिकार के नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे रेस्पो0गण (वर्तमान अपीलांट) के नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये तथा बाद तामिल वर्तमान अपीलांट मोहम्मद हनीफ एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालातनामा पेश किया इसलिए अपीलांट का यह कथन कि सही नही है कि नोटिस प्रोपर तामिल नही हुए तथा अपीलाधीन निर्णय बिना सुने पारित कर दिया हो ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन वसीयत के आधार पर बिना विवाद के उप तहसीलदार बाप द्वारा स्वीकृत किया गया था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन निर्विवादित होने से उसकी प्रथम अपील सुनवाई का अधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ही होने से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपीलांट ने जो अतिरिक्त दस्तावेज पेश किये है, वे विधिवत आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जाने चाहिये तथा यह भी कथन किया कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को मयाद सुमार करते हुए निर्णय पारित कर दिया है तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय को इस बिन्दु पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब उल जवाब मे कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 116 जो कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरकर पेश किया गया जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख ने ग्राम पंचायत की मीटिंग मे जांच अपेक्षित होने का नोट अंकित किया तथा उक्त म्युटेशन ग्राम पंचायत के समक्ष जांच हेतु पेश हुआ तथा ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज ने अपंजीकृत वसीयतनामे के संबंध मे जाच कर रिपोर्ट दिनांक 13–11–2001 को प्रस्तुत की अथार्त उक्त तमाम कार्यवाही सम्पन्न होने से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 116 जो विवादित होने से उसकी अपील निदेशक भू अभिलेख अथार्त संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष होनी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य था । इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने अपने जवाब उल जवाब मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे मयाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया, जो दोषपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 116 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया।

अपीलाधीन भूमि ग्राम भडला तहसील बाप के खसरा नंबर 38 रकबा 171 बीघा भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता खैर मुबारक पुत्र रायधन खां की खातेदारी की थी । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार खैर मुबारक के जायंदा पुत्र है । खातेदार खेर मुबारक के फौत होने पर उक्त खातेदारी भूमि का म्युटेशन वर्तमान अपीलांट मोहम्मद हनीफ पुत्र खेर मुबारक के पक्ष मे अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर म्युटेशन संख्या 116 स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 116 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1

ताज मोहम्मद पुत्र खैर मुबारक द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2015 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 116 को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाप को अपीलाधीन भूमि मे से मृतक खैर मुबारक की भूमि के संबंध मे विधिक प्रक्रिया के द्वारा जांच कर संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर विधिक उतराधिकार के नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायायल हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे रेस्पो0गण (वर्तमान अपीलांटगण) के नोटिस प्रोपर तामिल नही कराये गये तथा अपीलाधीन निर्णय मे रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता द्वारा कोई बहस नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30–6–2015 मे केवल अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनने का ही उल्लेख है, रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस का उल्लेख नही होते हुए अपीलाधीन निर्णय मे रेस्पो0 अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय बिना सुनवाई के ही पारित कर दिया । इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से उसमे रेस्पो0 के नोटिस जारी होना पाया जाता है तथा वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया हो । अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि उनके द्वारा किसी अधिवक्ता को वकालातनामा ही नही दिया तथा अधिवक्ता को निर्देशित नही किया जाने के बावजुद उनकी ओर से उपस्थिति दी गई है तो यह तथ्य अपीलांट को अधिवक्ता से ही सत्यापित करना चाहिये तथा अपीलाधीन निर्णय मे यदि उपस्थिति दर्ज का उल्लेख है तो अपीलाधीन निर्णय को एक्स पार्टी या बिना सुनवाई के पारित किया हुआ नही माना जा सकता है । इसके अलावा अपीलाधीन म्युटेशन वसीयत के आधार पर भरा है तो उसे विवादित नही माना जा सकता है तथा अविवादित म्युटेशन की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही था ।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग 1 माह विलंब से दिनांक 9–10–2015 को धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार की जाती है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलाधीन म्युटेशन जो कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे उप तहसीलदार बाप द्वारा वर्ष 2001 मे स्वीकार किया गया था, उसे निरस्त करने का कोई कारण या आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही होते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 116 को निरस्त करने बाबत पारित किया गया निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0गण यदि अपीलाधीन भूमि मे कोई हक अधिकार होना तथा वसीयत को कूटरचित होना मानते है तो सक्षम न्यायालय मे दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है । यह भी उल्लेखनीय है कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही मे वसीयत एवं गोद जैसे विवादित बिन्दुओ का निर्धारण संभव नही है जैसाकि अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीर आर.आर.डी. 2009 पेजे 123 मे अभिनिर्धारित किया गया है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष वर्ष 2001 मे स्वीकृत किये गये म्युटेशन के विरूद्ध लगभग 12 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है जैसाकि वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1092 तथा आर.आर.डी. 2015 पेज 119 की निर्णय नजीरो मे यही अभिनिर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2015 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 116 पर उप तहसीलदार बाप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–10–2001 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर